

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-4/2017/643

दिनांक:-30.11.2017

-:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मि जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	निर्मला माथुर	नर्स-1	जोधपुर	02.02.58	28.02.18
2.	जयश्री कुण्डू	नर्स-1	जोधपुर	07.06.58	30.06.18
3.	दुर्गा देवी चौहान	नर्स-1	जोधपुर	11.06.58	30.06.18
4.	प्रमिला गौड़	नर्सिंग ट्यूटर	जोधपुर	24.06.58	30.06.18
5.	शारदा श्रीमाली	नर्स-1	जोधपुर	01.07.58	30.06.18
6.	संतोष मालवीय	नर्स-1	जोधपुर	01.11.58	31.10.18
7.	सरोज तंवर	नर्स-1	जोधपुर	21.11.58	30.11.18
8.	विमलेश घोष	नर्स-1	जोधपुर	29.11.58	30.11.18
9.	सुमनलता	नर्स-1	जोधपुर	12.12.58	31.12.18
10.	अमीनी के.एम.	नर्स-1	जोधपुर	22.12.58	31.12.18
11.	राजेन्द्र कुमार	नर्सिंग ट्यूटर	जोधपुर	03.05.58	31.05.18
12.	विजय सिंह	नर्स-1	जोधपुर	15.06.58	30.06.18
13.	साजन जे. अरोड़ा	नर्स-1	जोधपुर	01.08.58	31.07.18
14.	प्रकाश चन्द्र व्यास	उप प्रधानाचार्य	जोधपुर	15.09.58	30.09.18
15.	माधव प्रसाद	नर्स-1	जोधपुर	26.09.58	30.09.18
16.	कैलाश चन्द मीणा	नर्सिंग अधीक्षक प्रथम	नागौर	01.07.58	30.06.18
17.	वींजाराम विश्णोई	नर्स प्रथम	नागौर	12.07.58	31.07.18
18.	शशीकला शर्मा	नर्स प्रथम	नागौर	29.08.58	31.08.18
19.	राघवेन्द्र भुवालिया	नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	29.01.58	31.01.18
20.	मोहन लाल रेगर	नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	03.02.58	28.02.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-4/2017/643

दिनांक: 30.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग, म.गा.चि. जोधपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर/भीलवाड़ा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोड़गढ़।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर